01.12.17

वकील वादी उप० प्रतिवादी नं०1 की ओर से एड० राजेश वर्मा ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब भी पेश किया। वकील उभयपक्ष ने बहस सुनने का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादी ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस की जबकि वकील प्रतिवादी ने अपने जवाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रतिवादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 1/2 हिस्से की भूमि क्रय की है प्रतिफल की राशि अदा की है। इसलिए उसे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हमारी राय में प्रतिवादी नं०1 सद्भावी क्रेता है। इसलिए उसे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः दावा वादी खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जमा जिला अभिलेखागार हो।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

Judi/Civil

(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)

Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर **मुकाम** गंगापुर सिटी

इजलास मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

उनवान

नत्थी पुत्र स्व0 फूलचन्द, जाति जाटव, निवासी खण्डीप, तहसील वजीरपुर– वादी

बनाम

1. श्रीमती पार्वती बेवा चिरंजी, जाटव, निवासी खण्डीप, तहसील वजीरपुर
2. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, वजीरपुर –प्रतिवादीगण

दावा बावत स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –62/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री रमेश चंद गुप्ता, एडवोकेट **मिनजानिब मुद्दई** श्री राजेश कुमार वर्मा, एडवोकेट **मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है** कि वाद वादी खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री अज दिनांक–01.12.2017 को जारी किया गया।

(मुनिदेव यादव)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		